Attchement-2.2

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

परियोजना विवरण :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट–कफलटा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

उपरोक्त परियोजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1810/III(2)/17–55 (एम0 एल0ए0) /2017 दिनांक 23–08–2017 के द्वारा प्राप्त हुई है। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत

संख्या–1810 / III(2)/17–55(एम०एस०)/2017

प्रेषक,

एस०एस० टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 23 अगस्त 2017

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र–चम्पावत के अन्तर्गत विभिन्न 07 मोटर मार्गों के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, (पि०क्षे०), लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा संलग्न विवरण में उल्लिखित कुल 07 मोटर मार्ग हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 52.00 किमी० तथा लागत ₹ 452.98 लाख है, पर विभागीय टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 452.98 लाख (₹ चार करोड़ बावन लाख अठानबे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात कुल 07 मोटर मार्गो हेतु ₹ 0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के

फोटो प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

अधिग्रहण–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.70 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या:–S1708220231 दिनांक 22 अगस्त, 2017 के द्वारा आपको आबंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– 337–सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सैक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा ।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–339/XXVII/(2)/2017 दिनांक 21 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या–1810/111(2)/17–55(एम0एल0ए0)/2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, चम्पावत।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोनिवि0, पिथौरागढ़।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/चम्पावत।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)

शासनादेश संख्या:- 1810 / III(2)/17-55(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 22 अगस्त, 2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत कांडा से सिलिंगटाक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	4.000	67.00	0.10
2	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत बोयल से गुरखोली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.000	54.40	0.10
3	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत सल्ली से भेडागाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10.00	68.00	0.10
4	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत नीड़ से गैनी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.000	40.80	0.10
5	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत सेतपट्टी से नाग तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	6.000	55.68	0.10
6	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत हरम, ल्वार्की, गोर खोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10.000	92.80	0.10
7	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट से कफलटा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.000	74.30	0.10
	कुल	**52.00**	**452.98**	**0.70**

(कुल ₹ सत्तर हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

फोटो प्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
चम्पावत (उत्तराखण्ड)